न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील सं. 04/2018

1. भगवान सिंह
2. जलसिंह
3. पातीराम

} पुत्रगण रतीराम

4. मुस0 हरप्यारी पत्नी रतीराम

} जाति जाट निवासी करही, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।

............................अपीलाण्ट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण, निवासी करही, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

.............................रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 04.01.2018 बावत दाखिल खारिज सं0 945 ग्राम करही अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः

1. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1

निर्णय

दिनांकः—14.08.2019

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 04.01.2018 बावत दाखिल खारिज सं0 945 ग्राम करही तहसील नदबई से व्यथित होकर विरुद्ध रेस्पोडेण्टान इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि तहसीलदार नदबई ने दाखिल खारिज करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जिस उपखण्ड अधिकारी नदबई की आज्ञा दिनांक 27.11.2017 के आधार पर दाखिल खारिज सं0 945 मंजूर किया है, उस आज्ञा दिनांक 27.11.2017 को राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपनी आज्ञा दिनांक 02.01.2018 में दोनों पक्षों की उपस्थिति में निरस्त कर दिया। जिसकी प्रतिलिपि अपीलाण्ट ने तहसीलदार नदबई व उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध करा दी थी, फिर भी तहसीलदार नदबई ने गलत रूप से दाखिल खारिज सं0 945 मंजूर कर दिया है। तहसीलदार नदबई की आज्ञा काबिल निरस्तनीय है।

राज0 काश्तकारी अधिनियम धारा 251 व 251(क) के तहत प्रा0पत्र पर पारित निर्णय का अमल केवल राजस्व नक्शों में ही होता है, अलग से

दाखिल खारिज मंजूर नहीं किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है।

इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नदबई की आज्ञा दिनांक 04.01.2018 निरस्त की जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलवी जरिये नोटिस की गई। दिनांक 08.03.2018 को रेस्पोडेण्ट सं0 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र 30.04.2018 को बावत अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर नहीं लेने बावत पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। तत्पश्चात पत्रावली बहस में नियत की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण गलत दर्ज किया है। धारा 251 व 251 (क) आर0टी0ए0 का अमल केवल राजस्व नक्शे में होता है, उसका अलग से नामान्तकरण नहीं होता है। उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 27.11. 2017 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.01.2018 से निरस्त कर दिया है। फिर भी दिनांक 04.01.2018 को नामान्तकरण गलत प्रकार से दर्ज किया है। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में लिखित बहस भी न्यायालय के समक्ष पेश की है। उन्होंने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण निरस्त करने का निवेदन किया है।

इसके विपरीत अभिभाषक अपनी बहस में यह तर्क किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 02.01.2018 के विरुद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। जिसमें भगवानसिंह वगै0 के द्वारा कैवियट पेश की हुई थी। माननीय राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 10.01. 2018 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसलिए अब अपील स्वीकार की जाती है तो इससे माननीय राजस्व मंडल के आदेश की अवहेलना होगी। स्थगन आदेश होने से मौका व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि दिनांक 04.01.2018 को कोई नामान्तकरण स्वीकार नहीं हुआ है और धारा 251 व 251 (क) आर.टी.ए. का अमल केवल राजस्व नक्शों में होता है और उसका इन्द्राज जमाबंदी में नहीं होता है, इसकी बावत अपीलाण्ट न्यायिक दृष्टांत पेश करे। नामान्तकरण न्यायालय के आदेश की पालनार्थ खोला गया है, जो सही है। रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तकरण खोलने से पूर्व विधि अनुसार राशि भी जमा कराई गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 945 तहसीलदार नदबई द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 27.11.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी नदबई का आदेश दिनांक 27.11.2017 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.01.2018 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में निरस्त कर दिया था। इसलिए दिनांक 02.01.2018 के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 27.11.2017 विधिमान्य नहीं था। जिसके आधार पर दाखिल खारिज भी स्वीकृत किया जाना भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। इसीलिए तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण स्वतः ही गैर कानूनी हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना उचित नहीं समझते।

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 945 वाके ग्राम करही तहसीलदार नदबई अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसील नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official